रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2009/वैशाख 10, 1931
No. 682] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2009/VAISAKHA 10, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2009

का.आ. 1075(अ).—चूंकि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार के निवारण के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, ने उक्त उप-धारा के तहत 25-2-2009 को आदेश फा. सं. 1/2/2009-पीआईटीएनडीपीएस जारी करते हुए यह निदेश दिया था कि श्री दिवाकर गुप्ता पुत्र श्री राम आश्रय गुप्ता, निवासी कालकाजी, नई दिल्ली को निरुद्ध किया जाए तथा उन्हें केन्द्रीय कारागार तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उन्हें स्वापक औषधियों के व्यापार में लिप्त होने तथा औषधियों के अवैध व्यापार संबंधी गतिविधियों का संचालन करने से रोका जा सके ।

2. चूंकि केन्द्रीय सरकार के पास इस दलील पर विश्वास का तर्क विद्यमान है कि उक्त व्यक्ति फरार हो गया है ताकि इस आदेश को अमल में न लाया जा सके ।

3. अतः केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उपर्युक्त व्यक्ति को इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर श्री अजय कुमार, अधीक्षक, दिल्ली आंचल एकक, पश्चिम ब्लॉक-I, विंग-VIII, आर. के. पुरम, नई दिल्ली के समक्ष पेश होने का निदेश देती है ।

[फा. सं. 1/2/2009-पीआईटीएनडीपीएस]

नीता गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 30th April, 2009

S.O. 1075(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued Order F.No. 1/2/2009-PITNDPS dated 25-2-2009 under the said sub-section directing that Shri Diwakar Gupta S/o Shri Ram Ashray Gupta, resident of Kalkaji, Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in dealing in narcotic drugs and organizing drug trafficking activities.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri Ajay Kumar, Superintendent, Delhi Zonal Unit, West Blcok-I, Wing-VII, R.K. Puram, New Delhi within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F.No.1/2/2009-PITNDPS]

NITA GUPTA, Under Secy.

1641 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.